संख्या–२७ /VI-I/2006

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तरांचल, देहरादून।

युवा कल्याण अनुभाग

देहरादून दिनांक २७ जनवरी, 2006

विषयः–जिला योजना के अन्तर्गत युवा केन्द्र नैनीताल के भीमताल नामक स्थान रख–रखाव/मरम्मत/स्थापना हेतु धनावंटन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक युवा कल्याण निदेशालय के पत्र संख्या–886/सात–1193/2005–06 दिनांक– 9, नवम्बर 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण धनराशि रूपये 17.50 लाख (रूपये सत्रह लाख पचास हजार मात्र) के सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष 2005–06 में रूपये 12.50 लाख (रूपये बारह लाख पचास हजार मात्र) व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के आधार पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

i) आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरे शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक है।

ii) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधानित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधानित स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

iv) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

v) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

vi) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

vii) आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

viii) निर्माण सामग्री प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपर्युक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये।

3. धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के उपरान्त इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

5. इस सम्बंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005-06 के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-001-निदेशन तथा प्रशासन-91-जिला योजना-9101-प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण-42 अन्य व्यय के आयोजनागत पक्ष के मानक मद के नामें डाला जायेगा।

6. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-181/वित्त XXVII (3)/2006 दिनांक-25, जनवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहें हैं।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या- /VI-I/2006, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय देहरादून।
5. परियोजना प्रबंधक, यूनिट-2, उत्तरांचल पेयजल निर्माण निगम, नैनीताल।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तरांचल, देहरादून।
8. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, उत्तरांचल।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव